न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

पीठासीन अधिकारीः— श्री सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या/ 17/2020

उनवानी प्रकरण :—

1. शोभाराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी हाल जिला दतिया मध्य प्रदेश

———वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्रगण नत्थीलाल जाति ब्राम्हण निवासीगण
2. हरिओम
3. रामशंकर
4. बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा राजाखेडा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा

————————प्रतिवादी
दावा अधीन धारा 88.188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :— श्री विमल कुमार शर्मा एड0 वादी
श्री विजय श्रीवास्तव एड0 प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :—05.03.2020

वादी ने उपरोक्त राजस्व वाद न्यायालय में इस आशय के साथ पेंश किया कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 4858 रकवा 0—13 विस्वा, स्थित ग्राम जरिहा नं. 02 तहसील राजाखेडा में हैं। उसमें वादी का हिस्सा 1/4 भाग है वादी काबिज है। उसे घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें।

यह कि वादी ने अपने वाद पत्र में बिवाद ग्रस्त का स्त्रोत बताते हुए अंकित किया है कि आराजी ख. नं. 4858 के अतिरिक्त आराजी ख.नं. 4857 एवं 4859 के खातेदार नारायनी बेबा जगदीश, हरिओम, व रामशंकर पुत्रगण नत्थीलाल हिस्सा के खातेदार काबिज कृषक थे। इनमें से हरिओम जो प्रति. सं. 02 ने दिनांक 24.05.1999 को आपना सम्पूर्ण हिस्सा उपरोक्त बर्णित ख. नं. में वादी के पक्ष में विक्रय कर मौके पर कब्जा दे दिया इससे वादी प्रतिवादी सं. 02 के पंजीकृत बैनामा के आधार पर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 एवं नारायनी के साथ संयुक्त रूप से कबिज हो गया तथा बैनामा वास्ते नामान्तकरण पटवारी हल्का को दिया पटवारी हल्का ने वादी को आश्वस्त कर दिया कि नामान्तकरण कर दिया गया है किन्तु मूल बैनामा गुम हो गया है जो वादी को मिला है वादी ने अंकित किया है कि करिब 10 वर्ष पूर्व न्यायालय से एक नोटिस प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 24.05.1999 को निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय के आधार पर नामन्तकरण सं 1687 से जो आदेश हुआ उसमें विवादित आराजी ख. नं. 4858 को छोडकर शेष दोंनो खसरा नम्बरो पर वादी के नाम खातेदारी अंकित कर दी तथा विवादित आराजी ख. नं. पर हरिओम प्रतिवादी सं. 02 उसका हिस्सा यथावत जो काबिल दुरूस्ती है तथा प्रतिवादी सं 1 लगयात 03 की मॉ नारायनी देवी के देहान्त के बाद विरासत का जो नामान्तकरण हआ है उसमे प्रतिवादी सं 02 का हिस्सा 1/12 के वजाय 1/3 भाग अंकित कर दिया है अतः इन्द्राजो की दुरूस्ती करतें हुये वादी को विवादित आराजी मे 1/4 भाग का खातेदार व प्रतिवादी सं 02 को 1/12 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये साम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगा0 03 ने अपनी ओर से दावा को स्वीकार करते हुये इकवाल दावा पेश किया तदुपरान्त बादी ने पी. डल्लू. 1 के रूप में अपने बयान लेखबद्ध कराये गये तथा उभयपक्ष अधिवक्ताओं की अन्तिम बहस की। बकील वादी ने दावे में अंकित कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादी सं 02 का हिस्सा 1/4 भाग धारा 63 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की रोशनी में खातेदारी समाप्त हो गई है तथा नामान्तकरण सं. 1687 को बडी त्रुटी की श्रेणी में है। जिसे न्यायालय से ही दुरूस्त

कराया जा सकता हैं। प्रतिवादी सं 1 ला. 03 के अभिभाषक ने भी वादी के अभिभाषक की बहस का सर्मथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध कथनों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानों का गहनता से अध्ययन किया विशेष रूप से दिनांक 24.05.1999 को निस्पादित विक्रय पर हरीओम बहक शोभाराम की ओर से सम्पूर्ण पढा जिसमें स्पष्ट है कि हरीओम ने अपना हिस्सा 1/4 भाग का बैनामा तीन नम्बरों 4858 के अतिरिक्त 4857 व 4859 का किया है इसके आधार पर वादी का हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार होता है तत्पश्चात नामान्तकरण सं 1687 को गौर से देखा तो बैनामा व नामान्तकरण में अन्तर स्पष्ट हो जाता है यह पटवारी हल्का की बहुत बडी और गम्भीर भूल है वादी के पक्ष में इसी नामान्तकरण में 4858 को भी अंकित किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया है। हम वादी अभिभाषक के कथनों एवं बहस उभयपक्ष से पूर्ण रूप से संतुष्ट है तथा दावा वादी डिक्री किया जाना उचित एवं विधिपूर्ण समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख. नं. 4858 रकवा 0–13 विस्वा स्थित बॉके जरिहा नं. 02 तहसील राजाखेडा वादी शोभाराम 1/4 भाग का एवं प्रतिवादी सं 02 हरिओम 1/12 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। उपरोक्त बर्णित हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है पर्चा डिक्री तदनुसार जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दाफतर हो।

आज दिनांक 05.03.2020 को मेंरे द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

सन्तोष कुमार गोयल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा धौलपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा
जिला-धौलपुर (राज.)